राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक एफ 5/अभि/सीटीएडी/बैठक 19.08.20 प्रस्ताव/20–21/ दिनांक :

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
डूंगरपुर।

विषय : जिला डूंगरपुर में एनिकट निर्माण कार्यो की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : उपायुक्त डूंगरपुर का पत्रांक 2247–48 दिनांक 19.10.2020 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्रावली की नोटशीट के पैरा 24–25/एन पर शासन से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एनिकट निर्माण कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई थी। कार्यकारी एजेन्सी से विस्तृत तकमीना मय तकनिकी स्वीकृति प्राप्त होने से निम्नलिखित कार्यो की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी – पंचायत समिति

(राशि लाखो में)

क.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	अनुमानित लागत
1.	भुलावाडा में एनिकट निर्माण	टामटिया	सागवाडा	20.00
2.	वनखण्ड कांठल में एनिकट निर्माण	सेमलिया पण्ड्या	सागवाडा	20.00
			योग	40.00

उपरोक्त कार्य पर राशि की व्यवस्था विशेष केंद्रीय सहायता मद की शासन की स्वीकृति संख्या 50/2018–19 में जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण हेतु उपलब्ध राशि में से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यो के संपादन मे प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित शर्तो के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे–

1. **यदि स्वीकृत कार्य महानरेगा अथवा अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे एवं अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।**
2. कार्यो पर स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावें।
3. पंचायत समिति/ग्राम पंचायत को स्वीकृत कार्यो में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रमीण कार्य निर्देशिका में दिए गए प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे एवं निर्देशिका में दिए गए निर्देशो के अनुरूप उपयोगिता/कार्यपूर्णता प्रमाण– पत्र प्रस्तुत किए जावें।
4. राशि का व्यय तकनीकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय स्वीकृति की सीमा मे सम्पादित किया जावे। राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
5. कार्यो का सम्पादन कार्यकारी एजेन्सी के तकनीकी अधिकारियों की देख रेख में गुणवत्तापूर्वक कराया जावें।

P.T.O

6. इस कार्यालय के पत्र कमांक 20728—80 दिनांक 23.05.2019 द्वारा राशि हस्तांतरण के निर्देशानुसार जिन कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई है उन कार्यो की राशि विकास अधिकारी पंचायत समिति को हस्तांतरित करेगें तत्पश्चात नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेंगे।

Sd/-

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)IAS
आयुक्त

क्रमांक एफ 5/अभि/सीटीएडी/बैठक 19.08.20 प्रस्ताव/20—21/ 25420-28 दिनांक : 23/10/2020
प्रतिलिपी :—सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, डूंगरपुर ।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सागवाडा जिला डूंगरपुर
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेज कर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वी. सं. 50/2018—19 में उपलब्ध राशि से उपरोक्त स्वीकृति में वर्णित कार्यो हेतु राशि 40.00 लाख उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, डूंगरपुर को हस्तांतरित करावें।
6. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)